

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II-Section 3-Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

Hi, 2451 No. 2451 नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 2011/माघ 18, 1932

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 2011/MAGHA 18, 1932

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (एमई-1 अनुमाग) अधिसचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2011

का.आ. 285(अ).—सार्वजिनक परिसर (अनिधकृत कब्जों को हटाया जाना) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 29 जुलाई, 1999 की संख्या का.आ. 124(अ) के जरिए इस प्रकार के अधिक्रमण से पहले किए गए अन्य संगंधित अथवा विलोपन किए गए कार्यों के अतिरिक्त भारत के राजपत्र, असाधारण के पान II, खंड 3 की उप-धारा (ii) में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, मारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में केंद्र सरकार साविधिक प्राधिकरण, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के अधिकारी होने और पारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के रैंक के समकक्ष होने के नाते निम्न तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारी को उनत अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुवत करती है और उनत तालिका के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसके संबंध में उवत सम्पदा अधिकारी उवत अधिनियम के अंतर्गत या द्वारा सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शवितयों का प्रयोग करेगा और दिए गए कर्तव्यों का कार्य-निष्पादन करेंगे।

	तालिका
अधिकारी का	सार्वनिक परिसरों की श्रेणियाँ और
पदनाय	क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएँ
(1)	(2)
डॉ. शशि वधवा, प्रोफेसर,	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान
अखिल मास्तीय आयुर्विज्ञान	संस्थान, नई दिल्ली के नियंत्रणाधीन
संस्थान, नई दिल्ली	परिसर

[फा. सं. V-16020/80/2010-एमई-1] देनाशीच पांडा, संयुवत सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(ME-I Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2011

S.O. 285(E) .- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare published in the Gazette of India, Extraordinary. Part II, Section 3, subsection (ii) vide number S.O. 124(E), dated the 29th July, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in Column (1) of the Table below, being officer of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, a statutory authority, and being equivalent to the rank of a gazetted officer of Government, to be estate officer for the purpose of the said Act, and defines the local limits of public premises as specified in Column (2) of the said Table, in respect of which, the said estate officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on estate officers by or under the said Act.

TABLE	
Designation of Officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Dr. Shashi Wadhwa, Professor, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi	Premises of All India Institute of Medicial Sciences, New Delhi under its control
7	[F.No. V-16020/80/2010-ME-I DEBASISH PANDA, Jt. Secy